दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फ्लाई लीफ/02/2023

फ्लाई लीफ सं.02/2023

इंजीनीयरी पदाधिकारी ..... ध्यान दें

ग्रीष्मकालीन पूर्वोपाय

(सीटीई का दि.20.02.2023 का पत्र सं.अ.स.सं.डब्ल्यू.टी-5/पी/एसपी-डब्ल्यूपी/खं.VI)

ग्रीष्मकाल समीप आ रहा है. वास्तव में जब मौसम शीतऋतु से ग्रीष्मऋतु में बदलता है, तो पटरी के तापमान में अधिक घट-बढ होती है. ग्रीष्मकालीन पूर्वोपाय, विशेष रूप से लंबी झली पटरी वाले (एलडब्ल्यूआर) क्षेत्रों में, अनिवार्य हो जाते हैं. कमियां जैसे लापता फिटिंग, गिट्टी की कमी तथा समेकन आदि का पता लगाने के लिए सेक्शनों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है. उनकी प्रकृति के आधार पर एलडब्ल्यूआर के स्ट्रेचों के लिए डी-स्ट्रेसिंग किया जाना चाहिए.

आपके विशेष और त्वरित ध्यान हेतु 'क्या करें और क्या न करें' नीचे दिए गए हैः

क्या करें

1.0 सामान्य

(a) एलडब्ल्यूआर और एसडब्ल्यूआर क्षेत्र में 'क्या करें और क्या न करें' अनुदेशों की संक्षिप्त सूची सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है. आपके नियंत्रणाधीन सभी कइंजी/सीसेइंजी/रेलपथ को उक्त अनुदेशों से पूरी तरह परिचित होना और उनका सावधानीपूर्वक पालन करना होगा. मंडल मुख्यालय में आवधिक बैठकों के साथ-साथ लाइन निरीक्षण के दौरान उनको परामर्श दी जाए. इसी प्रकार फील्ड कर्मचारियों द्वारा अपनाए जानेवाले ग्रीष्मकालीन पूर्वोपायों पर समइंजी कार्यालय में भी सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाएं.

(b) सेक्शन के प्रभारी सीसेइंजी/रेलपथ यह सुनिश्चित करें कि ग्रीष्मऋतु आरंभ होने से पहले, एलडब्ल्यूआर क्षेत्र में कार्यरत मेट/की-मेन के पास संबंधित मंडल के डीसीईटीआई द्वारा जारी वैध सक्षमता प्रमाण पत्र हो.

1.1 गैंग को सप्लाई किए गए और वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ मुख्यालयों के स्टेशन और अन्य स्थलों पर संस्थापित पटरी थर्मामीटर की परिशुद्धता की जांच करें.

1.2 रेलपथ के स्ट्रेचरों पर जहां क्रीप की संभावना हो, विशेष रूप से ध्यान दें.

1.3 सभी वक्र स्थलों की बाहरी ओर अतिरिक्त शोल्डर गिट्टी की व्यवस्था करें.

1.4 इकहरी लाइन रेलपथ और छोटी झली पटरी (एसडबल्यूआर) रेलपथ के मामलें में, जहां-कहीं आवश्यक हो, जाइंट गैपों की जांच करें. औसत पटरी तापमान (t_m) पर इकहरी पटरी रेलपथ के मामलें में 6 निरंतर जैम्ड जाइंटों और छोटी झली पटरी रेलपथ में 2 से अधिक जैम्ड जाइंटों को कभी अनुमत न करें.

1.5 क्रीप को कम करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय करें (अर्थात् अप्रभावी फास्टनिंग को बदलें)

1.6 पीएससी रेलपथ को छोडकर रेल एंकरों की व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें कि एंकर, जहां कहीं उपलब्ध कराए गए हों, हमेशा स्लीपरों के निकट हैं.

1.7 बकलिंग की संभावना वाले निम्नलिखित स्थलों पर अतिरिक्त सावधानी बरतेः

i. मेटल स्लीपर रेलपथ में लकडी के स्लीपरो का छोटा स्ट्रेच.

ii. एंटी-क्रीप फास्टनिंग वाले छोटी झली पैनलों के बीच लकडी के स्लीपरो का छोटा स्ट्रेच.

iii. एंटी-क्रीप फास्टनिंगों से बिछाए गए रेलपथ का जंक्शन और एंटी-क्रीप फास्टनिंगों के बिना लकडी के स्लीपरो पर बिछाया गया रेलपथ.

iv. आर्च पुलों पर लकडी के स्लीपरों के छोटे पैच और मेटल स्लीपर रेलपथ पर स्लैब टॉप पुल.

v. समान मानक रेल सेक्शनों वाली एक लंबी झली पटरी लंबाई (एलडबल्यूआर) में मिश्रित स्लीपरों से बचें. गिट्टी रहित पुल/स्टील गर्डर को प्रीकास्ट स्लैब पुल या पीएससी गर्डर से जितनी जल्दी हो सके बदलें.

1.8 एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर में , दो अलग-अलग रेल सेक्शन अनुमत नहीं है. कंक्रीट स्लीपरों पर बिछाए गए एलडब्ल्यूआर के मामले में, जिसमें एसईजे के दोनों ओर अलग-अलग रेल सेक्शन हैं, आरडीएसओ आरेख सं. टी-6782 (52 किग्रा / 60 किग्रा) पर संयुक्त एसईजे उपलब्ध कराए जाए. वैकल्पिक रूप से , दो 3 रेल पैनल (39 मीटर) , प्रत्येक एक रेल सेक्शन में दो पैनलों के बीच संयुक्त फिश प्लेटेड जाइंट के साथ उपलब्ध कराए जाए (आईआरपीडब्लूएम-2020 का पैरा 326 (5) (सी) और (डी).

1.9 ट्राली निरीक्षण के दौरान गेंगमेट, की-मेन और ट्रैकमेन को लंबी झली पटरी नियमावली में अनुरक्षण संबंधी प्रावधानों के बारे में, विशेष रूप से ऐसी मदों, जिन्हें कार्य स्थल पर ले जाना वर्जित है, की जानकारी दे.

1.10 कइंजी/सीसेइंजी(रेलपथ)/सहायक मंडल इंजीनियर और अन्य निरीक्षण पदाधिकारी रेलपथ का जायजा लेने के लिए दिन के सबसे अधिक तापमान वाले समय में अपने सेक्शनों में ट्राली पर दौरा करें.

1.11 ऐसे स्थानों की पहचान करें, जहां लागातर चाबियां(की), ईआरसी गिरने की संभावना होती है, जै से स्टेशनों के पहुंच मार्गों पर तोड-फोड़ के कारण फास्टेनिंग ढीला होने/गुम जाने की प्रबलता होती है और उचित कार्रवाई करें.

1.12 पृथ्थकृत स्थलों पर वेरसाइनों में निकटवर्ती स्टेशनों के बीच घुमावों में असामान्य घट-बढ़ पाए जाने पर घुमाव के स्थानीय समंजन पर ध्यान दें.

2.0 छोटी झली पटरियां (एस डब्ल्यूआर) :

जब ज़ोन I और II के मामले में पटरी तापमान tm + 25° सें से कम हो और ज़ोन III और IV में टीएम + 20°सें हो तो नियमित अनुरक्षण कार्य जैसे पैकिंग , लिफ्टिंग, अलाइनिंग, घुमावों का स्थानीय समायोजन, डीप स्क्रीनिंग के अलावा गिट्टी की स्क्रीनिंग और बिखरे स्लीपरों के नवीकरण को बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है. फिर भी, बडी लाइन या संरचना में 875 मीटर से कम त्रिज्या वाले घुमावों प र, उपर्युक्त तापमान सीमा जोन I और II के मामले में टीएम + 15 ° सें और जोन III और IV के मामले में टीएम + 10 ° सें तक प्रतिबंधित होगा (आईआरपीडब्लूएम का पैरा 324 (1)).

रन-डाउन रेलपथ के लिए भी उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें.

3.0 लंबी झली पटरियां (एल डब्ल्यू आर) :

(i) अपने सेक्शन या लंबी झली पटरी पैनल विशेष के डी-स्ट्रेसिंग तापमान(t_d) को जानें और अपने कर्मचारियों को अवगत कराएं.

(ii) हरा, पीला या लाल रंग के पेंट मार्किंग वाला थर्मामीटर रखें, जो विभिन्न कार्यों के लिए तापमान स्तर की सीमाओं को दर्शाता है ताकि ट्रैकमेन/कीमेन/मेट द्वारा इसे आसानी से पहचाना जा सके.

(iii) निरीक्षण के दौरान लंबी झली पटरी क्षेत्र के लिए समुचित उपस्करों को अपने साथ अवश्य ले जाएं.

(iv) रेलपथ समेकन निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है: -

(a) वर्तमान रेलपथ के लिए, जहां ऐसी अनुरक्षण गतिविधि आरंभ की गई है, जो गिट्टी सघनता (टैंपिंग ऑपरेशन) में गड़बड़ी पैदा करती है.

i. कंक्रीट स्लीपरों वाली रेलपथ संरचना के लिए , कम से कम 50,000 टन सकल यातायात की आवाजाही या दो दिनों की अवधि, जो भी बाद में हो

(या)

ii. डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर (डीटीएस) द्वारा स्थिरीकरण का कम से कम एक दौर.

(b) बिछाए गए नए रेलपथ (सीटीआर/टीएसआर) या नए गहरी छनाई वाले रेलपथ के लिए पैकिंग के तीन राउंड , जिनमें से अंतिम दो ऑन-ट्रैक टैंपिंग मशीनों द्वारा किए जाने चाहिए.

(c) अनुलग्नक-3/8 में दर्शाए अनुसार, रेलपथ की लंबाई पर अस्थायी गति प्रतिबंध लगाया जाए, जहां वेल्डेड पैनल विशेष स्क्रू क्लैम्प के साथ 1 मीटर लंबी फिशप्लेट या स्लॉटेड ग्रूव और बोल्ट क्लैम्प के साथ जॉगल फिशप्लेट से जुड़े हों (पैरा 337 (5) और (6).

4.0 एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर में नियमित अनुरक्षण कार्य उन घंटों में किया जाए जब तापमान t_d + 10° सें. के बीच हो और ग्रीष्मकाल शुरु होने से पहले पूर्ण किया जाए. अनुरक्षण कार्य के बाद जब पटरी तापमान समेकन की अवधि के दौरान t_d + 20° सें.से अधिक हो जाता है तो 50किमीप्रघं का गति प्रतिबंध लगाया जाए (आईआरपीडब्ल्यूएम-2020 का पैरा 345(1) ए और (बी) .

(a) जहां तक संभव हो, ग्रीष्मकाल के दौरान रेलपथ से छेड-छाड न की जाए. गिट्टी को पार्श्वक और ऊर्ध्वाधर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक ही खोला जाए. शोल्डरों में से एक बार हटाई गई गिट्टी को रेलपथ की मरम्मत के बाद तत्काल वापस डाला जाए और शोल्डर और क्रिब में मौजूद गिट्टी को वुडेन मैलेटों का उपयोग करते हुए समेकित किया जाए.

(b) गिट्टी की कमी, यदि हो, रेलपथ के क्रिब भाग में हो, न कि शोल्डर भाग में.

(c) एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर को रिवर्स कर्व्स में भी जारी रखा जाए. एक रिवर्स कर्व के सामान्य पाइंटों के दोनों ओर 100 मीटर की लंबाई में 600 मिमी की शोल्डर गिट्टी उपलब्ध कराई जाए. यदि रिवर्स कर्व्स के बीच एक सीधा रेलपथ है तो इस 100 मीटर को सीधे रेलपथ के मध्य से लिया जाए. ऐसे किसी माप की आवश्यकता नहीं होगी यदि रिवर्स कर्व्स के बीच सीधे रेलपथ की लंबाई 50 मीटर से अधिक है.

(d) रेल थर्मामीटर को उचित अंकन के साथ सीमित तापमान रेंज सहित कार्यचालन स्थिति में रखें. विभिन्न परिचालनों के लिए थर्मामीटर पर अंकित तापमान प्रतिबंध की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करें.

(e) सुनिश्चित करें कि सभी फास्टनिंग संपूर्ण और पूरी तरह सुरक्षित है.

(f) बफर पटरियों के बोल्टों को हमेशा कसकर रखें.

(g) एसईजी गैप की जांच पन्द्रह दिनों में एक बार दिन में सबसे अधिक तापमान के दौरान करें.

(h) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कमियों को ठीक किया गया है सभी लंबी झली पटरियों के निरीक्षण के लिए 15 दिनों का अभियान चलाए.

(i) बकलिंग की स्थिति से बचने के लिए सभी पूर्वोपाय अपनाए.

(j) पैदल चलने वाले और मवेशी क्रासिंगों पर कडी नजर रखें, जहां गिट्टी हमेशा अस्त-व्यस्त रहती है. गिट्टी की सभी कमियों को तत्काल पूरा किया जाए.

(k) ग्रीष्मकाल में गंभीर संरेक्षण खराबियों पर कडी नजर रखें. पर्यवेक्षक/रेलपथ, मेट और चाबीवाला आपाती मामलो में गाडी को सुरक्षित करे और उच्च पदाधिकारियों को रिपोर्ट करे.

(l) जीआरएसपी के अतिरिक्त, रेलपथ को उठाए बिना एक समय में 15 स्लीपरों में से केवल एक स्लीपर की फिटिंग का नवीकरण करें.

(m) सुनिश्चित करें कि कोई भी स्लीपर ढीला न हो. यदि ढ़ीला है, तो रेलपथ को उठाए या खोले बिना ही उन स्लीपरों को पैक करें.

(n) किंक को हटाते समय, एक समय में केवल फिटिंग के समायोजन के लिए 30 में से 1 या 2 स्लीपरों को ही समंजित करें.

(o) एसईजे, ब्रीथिंग लंबाई, घुमाव, समपारों के पहुंच मार्ग, बिना गिट्टी वाले पुलों, क्षैतिज और ऊध्र्वाधर घुमावों पर विशेष ध्यान दे.

(p) जांच करें कि एसईजे के रिफरेन्स खंभे और लंबी झली पटरी के स्थिर भाग का अनुरक्षण सही प्रकार से किया गया है. सुनिश्चित करें कि आरंभि क रिफरेन्स खंभों में कोई गडबडी न हो.

(q) पर्यवेक्षक/रेलपथ, मेट और कीमैन को इन 6 मदों पर ध्यान देना होगा a) लापता और ढीले फास्टनिंग, (b) गिट्टी की कमी , (c)असंरेखण (d) स्लूविंग, (e) लिफ्टिंग (f) गलत पैकिंग, बकलिंग से बचने के लिए इसके बारे में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए.

(r) पर्यवेक्षक/रेलपथ,मेट और चाबीवाला को चाहिए कि वे जाने कि जब बकलिंग या रेलपथ पर पटरी/झली के दरार नजर आए तो क्या करना चाहिए.

(s) यह सुनिश्चित करें कि सभी पुलों और उसके पहुंच मार्गों पर हमेशा जीरो लापता फिटिंग हो और ढीले पाए जाने पर उन्हे नियमित रूप से कसा जाता हो.

क्या न करेः

1.0. सामान्यः

1.1 किसी गति-प्रतिबंध और सेइंजी/कइंजी/रेलपथ के पर्यवेक्षण के बिना गहन स्क्रीनिंग और रेलपथ नवीकरण नहीं किया जाए.

1.2 बकलिंग की संभावना से बचने के लिए निम्न स्थितियों से बचे

i. अपर्याप्त विस्तार गैप

ii. क्रीप को समय पर ठीक नहीं करना

iii. रेल जोडों का स्नेहन नहीं करना

iv. रेलपथ से पटरी क्लोजरों को नहीं हटाना

v. गिट्टी की कमी

1.3 मुक्त रेल फिश प्लेट वाले रेलपथ में 6 जोड और औसत पटरी तापमान पर छोटी पटरियों में 2 जोडों के लिए निरंतर जैम जोडों की अनुमति न दे.

1.4 फिश बोल्टों को ज्यादा न कसें.

1.5 ग्रीष्मकाल आरंभ होने के बाद फिश-प्लेटों को ग्रीस न लगाएं.

1.6 ग्रीष्मकाल के आरंभ होने के बाद थ्रू-पैकिंग आरंभ न करें

1.7 जब तापमान अधिक हो जाता है, तो अनुरक्षण कार्य नहीं करें. पटरी तापमान t_d +10° से t_d - 30° सें के बीच रखें.

2.0. छोटी झली पटरियां (एसडब्ल्यूआर)

i. यदि tm पर दो से अधिक क्रमिक जैम जोड़ पाए जाते हों, तो छोटी झली पटरी रेलपथ से छेड-छाड न करें.

ii. जब जोन I और II के मामले में पटरी का तापमान tm + 15°C से कम हो, और जोन III और IV के मामले में tm + 10°C हो तो सामान्य रूप से रेलपथ की प्रमुख लिफ्टिंग, प्रमुख संरेखण, गहरी स्क्रीनिंग और निरंतर लंबाई में स्लीपरों का नवीकरण- इनमें से प्रत्येक परिचालन उपयुक्त सावधानियों के तहत किया जाएगा. यदि ऐसे कार्य उक्त वैल्यु से अधिक पटरी तापमान पर करना आवश्यक हो तो (आईआरपीडब्लूएम-2020 के पैरा 324 (4) के अनुसार) पर्याप्त गति प्रतिबंध लगाए जाएं.

iii. शोल्डर और क्रिब गिट्टी को एक समय में न खोलें.

iv. दिन के अधिकतम तापमान वाली अवधि के दौरान रेलपथ की स्लूइंग की अनुमति न दें और इसके दौरान कोई लिफ्टिंग प्रभाव नहीं होना चाहिए.

v. गैंगों के आपाती उपयोग के लिए विशेष क्लैम्पों के साथ पर्याप्त संख्या में जागल्ड फिश प्लेटों को उपलब्ध कराया जाए (आईआरपीडब्लूएम-2020 के पैरा 324 (5)).

3.0. लंबी झली पटरियां (एलडब्ल्यूआर)

i. जब तापमान, तापमान t_d + 10° C के भीतर हो तो रेलपथ को 30 से अधिक स्लीपरों तक न खोले. मैनुअल अनुरक्षण के दौरान खोली गई निकटवर्ती दूरियों के बीच कम से कम 30 पूर्ण बक्स स्लीपर रखें.

ii. जब पटरी तापमान t_d + 10° C. से अधिक हो, तो रेलपथ का लिफ्टिंग या संरेखण न करें.

iii. बड़ी लाइन पर 10 जीएमटी से अधिक वहन के मामले में, समीपवर्ती दूरी को 24 घंटों से पहले तथा अन्य बडी लाइन और मीटर लाइन के मामले में 2 दिनों के पहले न खोलें.

iv. शोल्डर गिट्टी के बिना स्लीपर एक्जिट की अनुमति न दें.

v. पर्यवेक्षक/रेलपथ, मेट और चाबीवाला रेलपथ को तब तक न छुएं जब तक कि कइंजी / वसेइंजी/रेलपथ द्वारा ऐसा करने के विशेष अनुदेश न दिए गए हों.

vi. शोल्डर और क्रिब गिट्टी को एक-साथ न खोलें.

vii. ईआरसी तथा लाइनरों और घुमावों को क्रो-बॉर से प्रतिस्थापित करने के लिए स्लीपरों की पैकिंग के समय रेलपथ को उठाने का प्रयास न करें.

viii. एक समय में 30 स्लीपरों में से एक से अधिक स्लीपर का नवीकरण न करें.

ix. एक समय में ऐसे फास्टनिंगों का नवीकरण न करें, जहां 15 में से एक से अधिक स्लीपर को उठाने की आवश्यकता हो.

x. एक समय में ऐसे फास्टनिंगों का नवीकरण न करें, जहां 30 में से एक से अधिक स्लीपर को उठाने का आवश्यकता हो.

xi. रेलपथ पर ढीले, लापता और अप्रभावी फास्टनिंगों को न छोडें.

xii. एक पखवाड़े में, लंबी झली पटरियों की ब्रीथिंग लंबाई की जांच और मरम्मत में लापरवाही न बरतें.

xiii. तापमान के, डि-स्ट्रेसिंग तापमान (t_m) के अंदर होने पर भी, रेलपथ को 50 मि.मी. से अधिक ऊपर न उठाए.

मंडलों को यह सूचना दी जाती है कि जोन-1 दिशानिर्देशों के अनुसार ही एलडब्ल्यूआर ट्रैक का अनुरक्षण किया जाए ना कि एलडब्ल्यूआर नियमावली/आईआरपीडब्ल्यूएम, जून 2020, एसएसई/ पी.वे, डिविजन में द.म.रेलवे के लिए उल्लिखित रेल तापमान जोन II/ जोन III के अनुसार. सहायक मंडल इंजीनियर, क.इंजीनियर/रेलपथ, मेटों तक उपर्युक्त अनुदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाए.

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**